कार्यालयः: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / नर्सिंग–2022 / 2457 लखनऊःदिनांक 21/10/ 2022

यू0पी0 नर्सिंग–2022 के अन्तर्गत आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

1. यू0पी0 नर्सिंग–2022 की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियो के प्रवेश के समय कोविड–19 महामारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

2. बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के परिणाम की घोषणा होने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र वेबसाइट nursing.upsdc.gov.in से डाउनलोड कर सकता है। आवंटन पत्र पर अंकित आवंटित कालेज के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा कालेज में जा कर प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी।

3. राजकीय नर्सिंग कालेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी अपनी प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में पूर्ण करेंगे।

4. निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी अपनी प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में पूर्ण करेंगे।

5. राजकीय क्षेत्र के बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

6. निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजो के शुल्क का विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था, जिसमें कुछ कालेजो के शुल्क सम्बन्ध में विरोधाभाष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतएव अभ्यर्थी कालेज द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

7. *निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजों में आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0,* ***(Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow)*** *के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, कालेज स्तर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।*

8. निजी क्षेत्र के नर्सिंग कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय केवल शिक्षण शुल्क जमा किया जायेगा अन्य शुल्क द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् जमा किये जायेगे।

9. प्रवेश प्रकिया पूर्ण करते समय अभ्यर्थी को अपने मूल शैक्षणिक अभिलेख यथा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र, जाति प्रमाण प्रत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ई0इब्लू0एस0), उपश्रेणी का प्रमाण–पत्र (दिव्यांगता/एन0सी0सी0/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके साथ ही उक्त प्रमाण–पत्रो की स्व–प्रमाणित प्रतियाँ भी लाना अनिवार्य है।

10. अटल बिहारी बाजपेई एवं के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा नर्सिंग परीक्षा 2022 हेतु जारी ब्रोशर के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Certificate) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण–पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2022 अथवा इसके पश्चात् का बना ही मान्य होगा।

11. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र राजकीय मेडिकल कालेजो/संस्थानो/विश्वविद्यालयो द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

12. राजकीय क्षेत्र की सीटो हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही अर्ह है।

13. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश न लेने पर उसके द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि रु0 5,000/– जब्त कर ली जायेगी, ऐसे अभ्यर्थियो द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर प्रतिभाग कर सकते है।

14. अद्यतन सूचनाओ हेतु विभागीय वेबसाइट ***dgme.up.gov.in/ nursing.upsdc.gov.in*** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

महानिदेशक।